

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
म.प्र.

१२ P (1)

क्रमांक/अस्प.प्रशा./2013/1311

भोपाल, दिनांक 23/10/2013


प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक  
मध्यप्रदेश।

विषय:-सिकलसेल ऐनिमिया एवं थेलेसिमिया के रोगियों को चिकित्सालय से निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने के संबंध में।

—00—

प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय में सिकलसेल ऐनिमिया एवं थेलेसिमिया के रोगी उपचार के लिये आते हैं। इन रोगियों को उपचार के लिये बार-बार रक्त की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुये निर्देशित किया जाता है कि सिकलसेल ऐनिमिया एवं थेलेसिमिया के रोगियों को शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार तथा रक्त उपलब्ध कराया जाये। इन रोगियों को ब्लैंड बैंक में रक्त उपलब्ध होने की दशा में उन से रिप्लेसमेन्ट न लिया जाये।

  
(डॉ.के.के.ठक्कर)

संचालक

स्वास्थ्य सेवायें


०८ भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23/10/2013

पू.क्रमांक/अस्प.प्रशा./2013/1312

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
- 2) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल।
- 3) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
- 4) समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, म.प्र.।
- 5) संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्, भोपाल, म.प्र.।
- 6) समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, म.प्र.।

  
संचालक

स्वास्थ्य सेवायें

भोपाल, मध्यप्रदेश

०८